हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

टी.आई.–38/13, जगन बनाम लेण्ड होल्डर

तारीख हुक्म

18.04.17

पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस के दौरान कहा कि सायल के पिता स्व0 सूका बैरवा की खातेदारी व कब्जे कास्त की आराजी खसरा नंबर 4134 रकबा 3.69 हेक्टर, खसरा नंबर 4136 रकबा 0.09 हेक्टर, ग्राम पीलोदा रही है। स्व0 सूका की चल अचल सम्पत्ति का सायल एकमात्र जायज वारिस है, सायल के अतिरिक्त जगन की दो पुत्रियाँ मूड़ी व छोटी है, जिन्होंनें सायल के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग सायल के पक्ष में कर दिया है। गैरसायल द्वारा सायल के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोला जा रहा है। अतः गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, सायल को भूमि से बेदखल नहीं करें। नायब तहसीलदार, बजीरपुर में बहस में कहा कि मृतक सूका पुत्र सोन्या की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1363 पटवारी द्वारा दायर कर जॉच आईएलआर हो चुकी थी, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक–21.04.11 को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार नामान्तरकरण के खारिज होने पर नियमानुसार अपील करने का प्रावधान है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। हम नायब तहसीलदार के इस कथन से सहमत है कि प्रकरण मूल रूप से नामान्तरकरण की अपील का है, इस हेतु सायल सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित नहीं होने के कारण एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक–18.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

29.08.17

पत्रावली माननीय ...
1017 दि. ...